

# यालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

पीठासीन अधिकारी, उम्मेदीलाय मीजा रजस

अनुषांग: सुलभ बनान रजुबील व अन्य

दावा नकासा नं. 10/1 अलवर (1) 53  
राजस्थान कायदा नं. 1955

मिर्काय दिनांक: - 30-03-2017

आजमे पत्रावली पत्र (हुकी) नदमी नद  
कोटकासिम से कुरे कायदा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो प्रारम्भ  
पत्रावली है कुरे कायदा पर कदम रक पक्षीय सुनीयमी.  
कुरे कायदा का प्रथमोक्त किया गया। जिसमें दोना पक्षों की  
सहमति के द्वारा काल में हुए है कदम में श्री कुरे कायदा पर  
अपनी सहमति व्यक्त की गयी कुरे कायदा पर कदम (1) न  
वादी का वाद डिक्री किया जाता है (1) वादी सुरेश कुमार पुत्र  
उमराव कौम सुभाल साकेन कोलनी नद. व जिला रेवारी हरियाणा  
कोआराजी (सं. नम्बर 887/2 रकबा 0.19 हेक्टे. लगान 0.90  
रु. वाके श्याम जादूवास नद. कोटकासिम का रवातेहाल कायदा का  
धोखित किया जाता है (2) प्रतिवादी रजुबील-बनेसिंह पुत्रान  
दयानन्द को 1/3, सुखमाल पुत्र सुखलाल को 1/3 हि. व लखनुराम  
पुत्र व रामली पुत्र रामप्रताप का 1/3 हिसे आजी (सं. नम्बर  
887/1 रकबा 0.19 हेक्टे. लगान 0.90 रु. वाके श्याम जादूवास  
नद. कोटकासिम पर रवातेहाल कायदा का धोखित किया जाता है/  
उम्मा-नुहाल वादी व प्रति. का राजस्थान रिमाई में कालग (वाला कायम  
कर अमल दायर किया जावे। पत्रावली नम्बर से कदम का कदम  
नकामी दाखिल दफ्तार की जावे।

मिर्काय डिक्री आज दिनांक 30-03-2017 को भेरे गए।  
कैलाश जाकल रजुबील न्यायालय में सुना गया।

**खण्ड अधिकारी**  
**कोटकासिम (अलवर)**